मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

शिक्षा के नाम पर धारा 134ए विभागीय नाटक	3
शुगर मिल की टरबाइन फ़ेल, उत्पादन ठप	4
काशी विश्वनाथ कोरिडोर पर भारी पड़ रहा है लोगों की जिंदगी का सवाल	5
चारधाम परियोजना के फैसले का आकलन	6
नीट परीक्षा और पीजी सेशन न होने से डॉक्टरों पर काम का दोहरा बोझ	8

वर्ष 36 | अंक 07 | फरीदाबाद | 26 दिसम्बर 2021-1 जनवरी 2022 | फोन-8851091460 | ₹3.00

हरियाणा सरकार अपने अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल को फौज बुलाकर भी शुरू नहीं करा सकी

खट्टर की कोरोना दृष्टि फ़िर पड़ी मज़दूरों के अस्पताल पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) कोरोना की तीसरी लहर के प्रकट होते ही हरियाणा सरकार की ओर से ज़िला उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने एनएच तीन स्थित मज़दूरों के अस्पताल यानी ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को इसी सप्ताह फ़रमान जारी कर दिया कि कोरोना के (सम्भावित) मरीजों को दाखिल करके उनका इलाज किया जाय। पत्र में इस अस्पताल को डैडीकेटेड कोरोना अस्पताल होने का हवाला दिया गया है।

विदित है कि बीती दोनों कोरोना लहरों के लिये इस अस्पताल को डैडीकेटेड कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया था। इसका अर्थ यह होता है कि जिन मज़दूरों के वेतन से, साढे चार प्रतिशत काट कर यह अस्पताल बनाया गया व चलाया जा रहा है उनको तो बाहर खदेड़ दिया जाय व ज़िला प्रशासन द्वारा भेजे जाने वाले तमाम कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाय। बीती दोनों लहरों के दौरान तमाम बीमा धारक मज़दूरों के इस अस्पताल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। संदर्भवश बता दें कि इस अस्पताल में प्रति दिन करीब 4000 मरीज़ ओपीडी में आते हैं और 500-600 विभिन्न

बीमाकृत मजदूरों को उनके ही अस्पताल से बाहर खदेड़ने की तैयारी

रोगी भर्ती रहते हैं। कोरोना डैडीकेटेड अस्पताल घोषित होने के बाद उन सब मरीजों को भटकने व मरने के लिये छोड़ दिया जाता है जिन्होंने इस अस्पताल को चलाने का पैसा दे रखा है। कोरोना के भी केवल उन मरीजों को भर्ती किया जाता है जिनकी सिफ़ारिश सिविल सर्जन व ज़िला प्रशासन करता है।

समझा जाता है कि उपायुक्त के उक्त पत्र के जवाब में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने लिख भेजा है कि यह अस्पताल न तो बीके सिविल अस्पताल की भांति सरकारी है और न ही प्राईवेट है। यह अस्पताल मज़दूरों के पैसे से बनाया व चलाया जा रहा है। जवाब में सलाह दी गई है कि हल्के व साधारण कोरोना मरीजों का इलाज बीके अस्पताल में ही कराया जाय। साथ ही गांव मोठुका स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मरीज़ों को भेजने का सुझाव दिया गया है।

दूसरी लहर के दौरान जब सरकार द्वारा मज़दूरों के इस अस्पताल को कब्जा लिया गया था तो मज़दूर संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा सरकार की उस कार्यवाई के विरुद्ध तीखी टिप्पणियां करने के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुरन्त प्रतिक्रिया देते हुए अटल बिहारी अस्पताल को दो दिन में चालू करने की घोषणा की थी। घोषणावीर खट्टर तीन दिन बाद अस्पताल का दौरा करने भी आये थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने इस अस्पताल को फ़ौज के द्वारा चलाने की बात भी कही थी।

करीब दो हफ्ते बाद फ़ौज के कुछ अफ़सर वहां पहुंच गये थे। उस वक्त हवन आदि का पाखंड तंत्र करने के लिये स्थानीय सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल गूजर व तमाम स्थानीय विधायक भी वहां पहुंच गये थे। झूठा प्रोपेगंडा करने में माहिर इन नेताओं ने अस्पताल को चालू घोषित भी कर दिया। इस सबके बावजूद आज फ़िर से ईएसआई के अस्पताल पर सरकार की गिद्ध दृष्टि क्यों लगी है? जाहिर है कि प्रोपेगंडा तो प्रोपेगंडा ही होता है, उससे न तो अस्पताल चलता है और न ही मरीजों का इलाज हो पाता है। इसके लिये तो डाक्टरों व अन्य स्टाफ़ के साथ-साथ तमाम आवश्यक साजो-सामान खरीदना पड़ता है। यही वह काम है जो खट्टर सरकार ने आज तक नहीं किया।

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज को इसी वर्ष से छात्र भर्ती करने की अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने आवश्यक फैकल्टी व अन्य स्टाफ़ के लिये भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है। इस अस्पताल के नाम पर 106 नर्सों की भर्ती जरूर की है लेकिन उन्हें भी बीके अस्पताल में तैनात कर दिया गया है क्योंकि अटल बिहारी अस्पताल में उनके करने लायक कुछ भी नहीं है। मजे की बात तो यह है कि सरकार द्वारा करीब चार माह पूर्व भर्ती की गई इन नर्सों को आज तक पहला वेतन भी नहीं मिला है। बीते दिनों इन नर्सों ने सरकार को बाकायदा इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। खट्टर सरकार के पास मीडिया में विज्ञापनबाज़ी व गीता महोत्सव जैसे कामों के लिये पैसे की कोई कमी

शेष पेज दो पर

बीके अस्पताल में 29 एम्बुलेंस, 87 के बजाय नियुक्त 31 ड्राइवरों में से भी 3 ड्राइवर अफ़सरों की सेवा में

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी बीके अस्पताल है। इसमें इलाज़ कम और रैफ़र ज्यादा होते हैं। रैफ़र भी मूलत: दिल्ली के लिये होते हैं क्योंकि निजी अस्पतालों के लिये रैफ़र नहीं किया जा सकता। वह बात अलग है कि मरीज स्वत: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भटकते हुए अपनी जान गवांने से बचने के लिये स्थानीय निजी अस्पतालों में पहुंच जाये।

रैफ़र होकर जाने वाले मरीज़ों व गंभीर रूप से घायलों को घटना स्थल से उठा कर लाने के लिये राज्य सरकार ने यहां 29 एम्बुलेंस दे रखी हैं। इनमें से कुछ नेशनल हैल्थ मिशन फ़ंड से हैं इन 29 एम्बुलेंसों

उपायुक्त जितेन्द्र यादव

मंडलायुक्त संजय जून

सिविल सर्जन डा. वीके गुप्ता

के लिये, प्रत्येक पर तीन के हिसाब से 87 ड्राइवरों की जरूरत होती है। इन्हीं में से साप्ताहिक अवकाश व अन्य छुट्टियों को भी समाहित करना होता है। लेकिन इस वक्त यहां मात्र 31 ड्राइवर हैं। ये तमाम गाड़ियां व ड्राइवर पूरे ज़िले भर के लिये हैं, यानी बल्लबगढ़ का सिविल अस्पताल व तमाम छोटे-बड़े हैल्थ सेंटर भी इन्हीं के द्वारा कवर किये जाते हैं।

जाहिर है ऐसे में बमुश्किल चन्द एक मरीज ही जुगाड़बाज़ी करके सरकारी एम्बुलेंस ले पाते हैं। शेष सभी को प्राइवेट गाड़ियों व तिपहियों का सहारा लेना पड़ता है। इसी लिये अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड के बाहर प्राइवेट गाड़ियों व तिपहियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये गाड़ियां प्राइवेट अस्पतालों की दलाली का काम भी करती हैं।

वेतन खर्च बचाने की नीयत से खट्टर सरकार द्वारा ड्राइवरों की भर्ती न करके एम्बुलेंस गाड़ियों को बेकार खड़ा कर दिया है। लगता है कि एम्बुलेंस गाड़ियों की खरीद, केवल खरीदारी पर मिलने वाले कमीशन के लिये ही की गई थी। ड्राइवरों की इस कमी रूपी कोढ में खाज का काम करने में ज़िले के उच्चाधिकारी भी पीछे नहीं रहना चाहते। ड्राइवरों की कमी को दूर करने का कोई उपाय करना तो दूर, खुद इस कमी को और बढ़ाने के लिये उक्त 31 ड्राइवरों में से एक ड्राइवर चंद्रशेखर को मंडलायुक्त संजय जून ने अपनी निजी कार के लिये काबू कर रखा है तो दूसरे ड्राइवर निकुंज शर्मा को उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने अपनी निजी गाड़ी पर लगा रखा है।

ऐसे में भला सिविल सर्जन साहब क्यों पीछे रहने लगे, उन्होंने भी रामराज नामक ड्राइवर को अपनी गाड़ी पर लगा लिया है। बेशक सिविल सर्जन ने रामराज को अपनी सरकारी गाड़ी पर लगाया है लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर को इस तरह से लगाना अवैध है। इसी तरह, उपरोक्त दोनों उच्चाधिकारियों के पास भी दो-दो सरकारी ड्राइवर पहले से ही मौजूद हैं।